[2020] 6 एस. सी. आर. 453

डी. देवराजा

वी.

ओवाइस सेबर हुसैन

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 458)

18 जून, 2020

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 197 आर/डब्ल्यू एस। 170 कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 का दायरा और प्रभावः एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया हर अपराध करता है

एस को आकर्षित नहीं करते हैं। 197 आर/डब्ल्यू एस। 170 - एस. एस. में प्रावधान। 197 Cr.P.C और एस. 170 अधिनियम के कार्य (अपराध) केवल तभी आकर्षित होते हैं जब कार्य (अपराध) आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या कार्य के रंग के तहत किए जाते हैं, या

ऐसे कर्तव्य या अधिकार से अधिक।

एस. 482 - आयोजित होने का क्षेत्रः एक आवेदन यू / s.482 है

उन कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए बनाए रखने योग्य जो मंजूरी के अभाव में प्रत्यक्ष रूप से खराब हैं / s.197 Cr.P.C. या s। 170 कर्नाटक पुलिस अधिनियम या तुच्छ या कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग में हैं।

एस. 482 और एस। 197 आर/डब्ल्यू एस। 170 कर्नाटक पुलिस अधिनियम-शिकायतकर्ता के दौरान पुलिस अधिकारी पर पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाते हुए शिकायत

एक मामले में जांच के दौरान पुलिस हिरासत में था आवेदन यू / s.482 पुलिस अधिकारी द्वारा कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए-उच्च न्यायालय ने शिकायत को माफ कर दिया जिसमें आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करने की आवश्यकता थी s.245 Cr.P.C.-उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितः शिकायत कर्तव्य के रंग के तहत एक अधिनियम से संबंधित है-मंजूरी एक कानूनी आवश्यकता थी-उच्च न्यायालय को शिकायत को खारिज करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, बजाय इसके कि अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने की आवश्यकता हो।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 . अभियोजन के लिए मंजूरी का उद्देश्य, चाहे वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत हो। पी. सी. या कर्नाटक की धारा 170 के तहत पुलिस अधिनियम, आधिकारिक कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने वाले लोक सेवक/पुलिस अधिकारी को उत्पीड़न से बचाने के लिए है।

तुच्छ जवाबी आपराधिक कार्यवाही। [पैरा 32] [466-एफ-जी; 467-ए]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.2 पुलिस पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी

अधिकारी, आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए, पुलिस अधिकारी को उत्पीड़न का सामना करने से बचाने के लिए अनिवार्य है।

जवाबी, बदला लेने वाली और तुच्छ कार्यवाही। द.

अभियोजन के लिए सरकार से मंजूरी की आवश्यकता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को आपराधिक कार्रवाई शुरू करके प्रतिशोधी प्रतिशोध के डर के बिना अपने आधिकारिक कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन करने का विश्वास देगी, जिससे वह अधिनियम की धारा 197 Cr.P.C के तहत संरक्षित होगा। साथ ही, यदि पुलिसकर्मी ने कोई गलती की है, जो एक आपराधिक अपराध है और उसे इसके लिए उत्तरदायी बनाता है। अभियोजन, वह से मंजूरी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है

उपयुक्त सरकार। [पैरा 68] [482-एफ-एच]

1.3 एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक अपराध दंड संहिता की धारा 197 को आकर्षित नहीं करता है। पी. सी. अधिनियम की धारा 170 के साथ पढ़ा जाता है। धारा 197 Cr.P.C के तहत दिया गया संरक्षण. धारा 170 के साथ पढ़ें। अधिनियम की अपनी सीमाएँ हैं। सुरक्षा तभी उपलब्ध होती है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उचित रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा होता है और आधिकारिक कर्तव्य केवल आपत्तिजनक कार्य के लिए एक कवच नहीं होता है। [पैरा 69] [483-ए-बी]

1.4 पूरी तरह से अपराध के दायरे से बाहर किया गया अपराध

पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के लिए निश्चित रूप से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए, एक पुलिसकर्मी एक घरेलू नौकर पर हमला करता है या

घरेलू हिंसा में लिप्त होना निश्चित रूप से सुरक्षा का हकदार नहीं होगा। हालाँकि यदि कोई कार्य किसी अभिलिखित आपराधिक मामले की जाँच के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा है, तो यह कार्य निश्चित रूप से कर्तव्य के रंग में है, चाहे वह कार्य कितना भी अवैध क्यों न हो। यदि किसी आधिकारिक कर्तव्य के पालन में एक पुलिसकर्मी ने कर्तव्य से अधिक कार्य किया है, लेकिन कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के बीच एक उचित संबंध है, तो यह तथ्य कि कथित कार्य कर्तव्य से अधिक है, इससे वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा।

उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकारी मंजूरी के संरक्षण का पुलिसकर्मी। [पैरा 70,71] [483-सी-डी] 1.5 धारा 197 करोड़ की भाषा और अवधि। पी. सी. और अधिनियम की धारा 170 यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि मंजूरी की आवश्यकता न केवल आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए है, बल्कि यह डी. देवराज बनाम है।

ओवाइस सेबर हुसैन

आधिकारिक कर्तव्य और/या ऐसे कर्तव्य या प्राधिकरण के रंग या उससे अधिक के तहत किए गए कार्य के निर्वहन में किए जाने वाले कार्य के लिए भी आवश्यक है। [पैरा 72] [483-ई-एफ]

1.6 यह तय करने के लिए कि क्या मंजूरी आवश्यक है, परीक्षण है

क्या अधिनियम आधिकारिक कर्तव्य से पूरी तरह से असंबद्ध है या क्या आधिकारिक कर्तव्य के साथ कोई उचित संबंध है। एक पुलिसकर्मी या आधिकारिक कर्तव्य से असंबद्ध किसी अन्य लोक सेवक के कार्य के मामले में मंजूरी का कोई सवाल नहीं हो सकता है। हालाँकि, यदि एक पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप लगाया गया कार्य उचित रूप से उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिसकर्मी ने अपनी शक्तियों के दायरे को पार किया है और/या कानून के चारों कोनों से परे काम किया है। [पैरा 73] [483-एफ-जी]

1.7 यदि पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज की जाने वाली कथित शिकायत में आरोप लगाया गया कार्य उचित रूप से आरोपमुक्त करने से जुड़ा है

जब तक अधिनियम की धारा 197 Cr.P.C और/या धारा 170 के तहत उपयुक्त सरकार की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक कुछ आधिकारिक कर्तव्य, इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। मंजूरी आवश्यक है या नहीं, यह किसी भी समय निर्धारित करना पड़ सकता है।

कार्यवाही का चरण। [पारस 74 और 76] [483-एच; 484-ए, डी]

माताजोग डोबे बनाम। एच. सी. भरी एयर 1956 एस. सी. 44: [1955]

2 एस. सी. आर. 925-अनुसरण किया गया। पुखराज बनाम। राजस्थान राज्य और दूसरा (1973) 2 एस. सी. सी. 701 [1974] 1 एस. सी. आर. 559; अमरीक सिंह बनाम। पेप्सू ए. आई. आर. राज्य 1955 एस. सी. 309 [1955] 1 एस. सी. आर. 1302; उड़ीसा राज्य बनाम। गणेश चंद्र यहूदी (2004) 8 एससीसी 40: [2004] 3 एस. सी. आर. 504; श्रीकांतिया रामय्या मुनिपल्ली

वी. बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 287 [1955] 1 एस. सी. आर. 1177; पी. अरुलस्वामी बनाम। मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 776 [1967] 1 एस. सी. आर. 201; बी. साहा और अन्य बनाम। एम. एस. कोचर (1979) 4 एससीसी 177: [1980] 1 एस. सी. आर. 111; विरूपाक्सप्पा वीरप्पा कदमपुर बनाम। मैसूर राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 849: [1963] पूरक। एस. सी. आर. 6; ओम प्रकाश और अन्य। वी. झारखंड राज्य और अन्न। (2012) 12 एससीसी 72: [2012] 9 एससीआर 125; शंकरन मोइत्रा बनाम। साधना दास और एक अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. 584 [2006] 3 एस. सी. आर. [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

305 ; के. के. पटेल और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और

एक और (2000) 6 एस. सी. सी. 195: [2000] 1 पूरक। एससीआर 312; डी. टी. विरूपाक्षप्पा बनाम सी. सुभाष (2015) 12 एस. सी. सी. 331: [2015] 5 एस. सी. आर. 534; रिज़वान अहमद जावेद शेख और अन्य बनाम। जमाल पटेल और अन्य (2001) 5 एस. सी. सी. 7:

[2001] 3 एससीआर 766-पर निर्भर।

देविंदर सिंह और अन्य। वी. सी. बी. आई. (2016) 12 एस. सी. सी. 87 के माध्यम से पंजाब राज्यः [2016] 6 एस. सी. आर. 295; सत्यवीर सिंह राठी, सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य। वी. राज्य Thr. सीबीआई (2011) 6 एससीसी 1: [2011] 6 एस. सी. आर. 138; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। एन. वेणुगोपाल और अन्य आकाशवाणी 1964

एससी 33: [1964] 3 एससीआर 742-प्रतिष्ठित।

डॉ. होरी राम सिंह बनाम सम्राट ए. आई. आर 1939 एफ. सी. 43; एच. एच. बी. गिल बनाम सम्राट आकाशवाणी 1947 एफ. सी. 9; एच. एच. बी. गिल बनाम आर एयर 1948 पी. सी. 128; भानुप्रसाद हरिप्रसाद दवे बनाम। गुजरात राज्य ए. आई. आर 1968 एस. सी 1323: [1969] 1 एससीआर 22; महाराष्ट्र राज्य बनाम। आत्मा राम ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1786; बख्शीश सिंह बरार बनाम। गुरमेज कौर और अन्र। (1987) 4 एस. सी. सी. 663 [1988] 1 एस. सी. आर. 450; ओम प्रकाश और अन्य। वी. झारखंड राज्य और अन्र। (2012) 12 एससीसी 72: [2012] 9 एस. सी. आर. 125-संदर्भित।

आधिकारिक कर्तव्य के साथ संबंध, जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित होती है और गलत उद्देश्य से शुरू की जाती है, धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति होनी चाहिए। अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रयोग किया जाता है। [पैरा 77] [484-ई-एफ]

2.2 तत्काल मामले के रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया, जबकि प्रतिवादी था

हिरासत में, अपराध के संबंध में जाँच के दौरान No.12/2012। स्पष्ट रूप से शिकायत कर्तव्य के रंग के तहत एक अधिनियम से संबंधित है। [पैरा 78] [485-एच]

2.3 उच्च न्यायालय ने आपराधिक डी. देवराजा बनाम की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करके कानून में स्पष्ट रूप से गलती की।

ओवाइस सेबर हुसैन

मजिस्ट्रेट के आदेश को दरकिनार करने के लिए प्रक्रिया संहिता ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह कानून का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत था कि मंजूरी एक आवश्यकता थी जो न्यायालय को संज्ञान लेने का अधिकार देती है। अदालत को कंपनी को रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था अपीलार्थी को धारा 245 Cr.P.C के तहत आवेदन करने के लिए भेजने के बजाय। [पैरा 80] [485-सी-डी]

हरियाणा राज्य और अन्य। वी. भजन लाल और अन्य

(1992) पूरक। 1 एससीसी 335: उड़ीसा राज्य बनाम। गणेश

चंद्र ज्यू (2004) 8 एस. सी. सी. 40: [2004] 3 एससीआर 504 -

-

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1955] 2 एससीआर 925

पीछा किया।

पैरा

32

[1974] 1 एससीआर 559

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[1955] 1 एससीआर 1302

उस पर भरोसा करें

पैरा

34

[2004] 3 एससीआर 504

उस पर भरोसा करें

पैरा

36

संदर्भित किया गया है

पैरा

52

[1955] 1 एससीआर 1177

उस पर भरोसा करें

पैरा

38

[1967] 1 एससीआर 201

पैरा

39

उस पर भरोसा करें

[1980] 1 एससीआर 111

उस पर भरोसा करें

पैरा

40

[1963] पूरक। एससीआर 6

उस पर भरोसा करें

पैरा

41

[2012] 9 एससीआर 125

उस पर भरोसा करें

पैरा

45

[2006] 3 एससीआर 305

उस पर भरोसा करें

पैरा

46

[2000] 1 पूरक। एससीआर 312

उस पर भरोसा करें

पैरा

48

[2015] 5 एससीआर 534

उस पर भरोसा करें

पैरा

54

प्रतिष्ठित

[2016] 6 एससीआर 295

पैरा

57

[2011] 6 एससीआर 138

प्रतिष्ठित

पैरा

57

[1964] 3 एससीआर 742

प्रतिष्ठित

पैरा

58

[1969] 1 एससीआर 22

पैरा

60

संदर्भित किया गया है

[1988] 1 एससीआर 450

पैरा

62

[202

0] 6 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एससीआर 125

पैरा

63

संदर्भित किया गया है

[2001] 3 एससीआर 766

उस पर भरोसा करें

पैरा

65

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

458 2020 से।

उच्च न्यायालय के 31.01.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के सी. आर. एल. पी. सं. 319 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार द्वारा।

सज्जन पूवय्या, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रतिभा सिंह,

बालाजी श्रीनिवासन, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, सुश्री गरिमा जैन, सुश्री लक्ष्मी

राव, हुसैन मुईन फारूक, श्रीमती। बी. सुधा, साहिल भालैक, तुषार गिरि, सिद्धार्थ गौतम, ए. इमरान, करण शर्मा, अरुण मेनन, सुश्री अंकिता तिवारी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 31-1-2018 दिनांकित एक निर्णय और आदेश के खिलाफ है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 120-बी, 220,323,330,38,506 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए, अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ 2013 की निजी शिकायत के पी. सी. आर. होने का संज्ञान लेते हुए, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट III, बेंगलुरु शहर द्वारा 2013 के पी. सी. आर. No.17214 में पारित एक आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपीलार्थी के आवेदन का निपटारा करते हुए। उच्च न्यायालय ने

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के दिनांक 27.12.2006 के विवादित आदेश को रद्द नहीं किया, लेकिन

इसके बजाय शिकायत को विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अभियुक्त अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता थी।

3. अभियुक्त अपीलार्थी किस पद का पुलिस अधिकारी है

पुलिस अधीक्षक। आई. डी. 1 पर या उसके आसपास, जब अभियुक्त अपीलार्थी को पुलिस उपायुक्त (अपराध) के रूप में तैनात किया गया था,

बैंगलोर शहर के पुलिस आयुक्त, बैंगलोर ने एक आदेश पारित किया जिसमें उल्सूर पुलिस स्टेशन, बैंगलोर में दर्ज अपराध संख्या 12/2012 को केंद्रीय अपराध शाखा, बैंगलोर में स्थानांतरित कर दिया गया।

4. उपरोक्त आदेश पारित होने के बाद, उपायुक्त

पुलिस विभाग (पूर्वी प्रभाग) बैंगलोर शहर ने पुलिस निरीक्षक, उलसूर पुलिस स्टेशन को अपराध संख्या 12/2012 से संबंधित पूरे मामले के रिकॉर्ड को अपराध शाखा को प्रेषित करने का निर्देश दिया।

5. अभियुक्त अपीलार्थी, जिसे डिप्टी के रूप में तैनात किया गया था

पुलिस आयुक्त (अपराध) ने मामले के रिकॉर्ड प्राप्त किए और 2-1-2013 दिनांकित ज्ञापन द्वारा पुलिस निरीक्षक को मामले की जांच सौंप दी। इसके बाद, पुलिस निरीक्षक, तीसरा अभियुक्त होने के नाते, उप-निरीक्षक की सहायता से सहायक पुलिस आयुक्त, दूसरा अभियुक्त होने के मार्गदर्शन में जाँच शुरू की।

पुलिस का आरोपी नंबर 4 होना।

6. अभियुक्त अपीलार्थी ने कहा है कि पुलिस अधिकारी

अपराध विभाग ने प्रतिवादी और उसके परिवार के इतिहास की जांच की और पाया कि प्रतिवादी निम्नलिखित मामलों में शामिल था।

उवैस साबिर हुसैन/प्रतिवादी के खिलाफ मामले

तिथि

अनु

भाग

एफ. आई. आर नंबर

एस. आई.

पुलिस स्टेशन

नहीं।

420 , 465 ,

468 आईपीसी का

1 26.02.2013

एचएसआर लेआउट, बेंगलुरु 110/2013

सुब्रमण्यनगर,

2 03.05.2013

44/2013

420 आईपीसी

का

बैंगलोर

7. भाइयों के खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज थे।

भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिवादी। अभियुक्त अपीलार्थी के अनुसार, उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्य कुल 13 मामलों में शामिल थे। अन्य मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

जिम्मेदार भाइयों के खिलाफ दर्ज मामले

एस. एल.

अनु

भाग

तिथि

पुलिस स्टेशन

एफ. आई. आर

नहीं।

संख्या

एंडरसनपेट, केजीएफ

1 01.09.2009

143 , 149 ,

354 , 504,506 में से

3/2009

आईपीसी

एंडरसनपेट, केजीएफ

4/2009

2 01.11.2009

107 आईपीसी

का

379,427,44

7 , 500 आईपीसी का

13/2009

एंडरसनपेट, केजीएफ

3 02.12.2009

एंडरसनपेट, केजीएफ

4 04.02.2009

51/2009

107 आईपीसी

का

ऊँचे मैदान,

5 10.03.2011

187/2011

506 आईपीसी

का

बेंगलुरु

ऊँचे मैदान,

6 03.02.2012

57/2012

323 , 324 ,

241 , 353 , 506 (बी)

बेंगलुरु

आई.

पी. सी. [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एंडरसनपेट, केजीएफ

7 21.03.2012

27/2012

107 आईपीसी

का

52/2013

अशोकनगर, बैंगलोर

417 , 419 ,

420 , 465 , 468 ,

8 02.01.2013

471 , 120 (

बी) आई. पी. सी. का आर/डब्ल्यू 34

ऊँचे मैदान,

423 , 404 ,

465 , 468 , 471 ,

9 25.05.2012

135/2012

472 , 474 ,

475 , 476 , 463 ,

बेंगलुरु

464 आईपीसी

का

संजयनगर, बेंगलुरु 75/2013

420 , 468 ,

471 , 506 आर/डब्ल्यू 34

10 03.05.2013

आईपीसी का

468 , 471 , 420 , 506 आईपीसी का

11 21.08.2011

ऊँचे मैदान,

153/2011

बेंगलुरु

8. जानकारी प्राप्त होने पर कि प्रतिवादी इसमें शामिल था

उलसूर पुलिस स्टेशन का अपराध सं. 12/2012, पुलिस निरीक्षक तीसरा आरोपी होने के नाते, पुलिस उप-निरीक्षक और अन्य कर्मियों के साथ प्रतिवादी के घर No.116 पहली मंजिल, 1st क्रॉस, न्यू बीईएल रोड, बैंगलोर पर छापा मारा। प्रतिवादी को भी हिरासत में लिया गया था

उपरोक्त मामले के साथ संबंध, और बाद में उपरोक्त मामले में आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया (अपराध सं. 12/2012)

9. प्रतिवादी को 27-2-2013 पर पंचनामे के तहत गिरफ्तार किया गया था।

जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट I के रूप में क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। 28-2-2013 . दिनांक 28-2-2013 के एक आदेश द्वारा, विद्वत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट I, बेंगलुरु ने प्रतिवादी को पुलिस हिरासत में भेज दिया, यह देखते हुए कि प्रतिवादी ने पुलिस द्वारा किसी भी खराब व्यवहार की शिकायत नहीं की थी।

10. 1-3-2013 पर, जाँच अधिकारी ने एक चोरी की कार जब्त कर ली

टाटा मांजा कार जो कथित रूप से प्रतिवादी के स्वैच्छिक बयान के अनुसार प्रतिवादी के घर के बगल में सड़क पर खड़ी थी। पूछताछ में पता चला कि कार अपराध संख्या 110 से संबंधित थी।

2013 का एच. एस. आर. लेआउट पुलिस स्टेशन में पंजीकृत।

11. 2-3-2013 पर या उसके आसपास, प्रतिवादी के पिता के. एम. हुसैन,

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय में 2013 की डब्ल्यू. पी. (एच. सी.) संख्या 57 के रूप में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जिसमें कथित अवैध निरोध से प्रतिवादी को पेश करने के आदेश की मांग की गई। 4-3-2013 पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रतिवादी और/या उसके पिता द्वारा प्रतिवादी के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को देखते हुए प्रतिवादी की चिकित्सा जांच के लिए एक आदेश पारित किया। उत्तरदाता को जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और बाद में जांच और उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी जिसमें किसी भी बात को खारिज कर दिया गया।

प्रतिवादी पर असामान्यताएँ और चोटें, जिनके अवलोकन के बाद, डी. देवराज बनाम।

ओवैस सेबर हुसैन [इंदिरा बनर्जी, जे.]

बेंगलुरु के प्रथम अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का निधन

4-3-2013 दिनांकित एक आदेश, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी पर कोई असामान्यता और चोट नहीं पाई गई थी। 12. 6-3-2013 पर अभियुक्त अपीलार्थी ने पुलिस उपायुक्त (CCB), बैंगलोर के रूप में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय में 2013 के WP (HC) No.57 में एक हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामे के साथ एक जांच रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जांच अधिकारी ने प्रतिवादी साबिर हुसैन उर्फ उवैज हुसैन को इस संबंध में गिरफ्तार किया था।

आई. पी. सी. की धारा 381 के तहत अपराध के लिए हलासुरू पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध No.12/2012 के लिए और उसे कानून के अनुसार क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया।

13. दिनांक 2 के एक आदेश द्वारा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पिता द्वारा दायर 2013 की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, अन्य बातों के साथ-साथ यह देखते हुए कि प्रतिवादी के खिलाफ आठ आपराधिक मामले लंबित थे और उसे कानून के अनुसार क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।

बेंगलुरु के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दुर्व्यवहार और पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया, जबकि प्रतिवादी 27-2-2013 से 4-3-2013 तक पुलिस हिरासत में था। 15. दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, तीसरे अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, बेंगलुरु ने 2013 के पी. सी. आर. सं. 17214 में अपीलार्थी के खिलाफ संज्ञान लेते हुए खुशी जताई, भले ही सरकार से कोई पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। अभियुक्त अपीलार्थी ने 2017 की धारा 482 के तहत आपराधिक याचिका दायर की

2013 के पी. सी. आर. No.17214 में दिनांकित 27-12-2016 आदेश को रद्द करने के लिए। 16. दिनांक 31-1-2018 के विवादित आदेश द्वारा, कर्नाटक उच्च न्यायालय को यह मानते हुए खुशी हुई कि यह कानून का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत था, कि मंजूरी एक कानूनी आवश्यकता थी, जिसने न्यायालय को एक लोक सेवक के खिलाफ एक निजी आपराधिक शिकायत का संज्ञान लेने का अधिकार दिया। अपने निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, जैसा कि उपरोक्त कहा गया है, उच्च न्यायालय [2020] 6 एस. सी. आर. के लिए आगे बढ़ा।

मजिस्ट्रेट को आरोपों के गुण-दोष पर साक्ष्य दर्ज करने से पहले आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। 17. उपर्युक्त दिनांकित 31-1-2018 आदेश से इस हद तक व्यथित होना कि अपीलार्थी को विद्वान को वापस भेज दिया गया है।

मजिस्ट्रेट और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 के तहत आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर करने का निर्देश देते हुए, अपीलार्थी ने यह अपील दायर की है।

18. इस अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या विद्वान मजिस्ट्रेट अपीलार्थी के खिलाफ संज्ञान ले सकते थे।

निजी शिकायत 2013 की पी. सी. आर. No.17214 है, जिसकी अनुपस्थिति में

कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2013, और यदि नहीं, तो क्या उच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट के विवादित आदेश को रद्द कर देना चाहिए था संबंधित, संबंधित मजिस्ट्रेट को शिकायत भेजने और अभियुक्त अपीलार्थी को उसके सामने उपस्थित होने और आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करने की आवश्यकता के बजाय।

19. कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 170 इस प्रकार प्रदान करती है -

निम्नलिखित हैः

" 170. कर्तव्य के रंग के तहत किए गए कार्यों के संबंध में मुकदमे या अभियोजन, जैसा कि ऊपर कहा गया है, की मंजूरी के बिना विचार नहीं किया जाएगा

सरकार। - (1) आयुक्त, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या रिजर्व पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा कथित अपराध के किसी भी मामले में, या कथित रूप से गलत होने के लिए

ऐसे आयुक्त, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या

रिजर्व पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, रंग के तहत या उपरोक्त किसी ऐसे कर्तव्य या प्राधिकरण से अधिक किए गए किसी भी कार्य द्वारा, या जिसमें अदालत को यह प्रतीत होगा कि अपराध या गलत यदि किया गया या किया गया था तो उपरोक्त चरित्र का था, अभियोजन या मुकदमे पर विचार नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि - सरकार की पूर्व मंजूरी।

(2) उपरोक्त के रूप में इस तरह के गलत के कारण एक इच्छित मुकदमे के मामले में, मुकदमा करने का इरादा रखने वाला व्यक्ति कथित गलत करने वाले को कम से कम एक महीने का नोटिस देने के लिए बाध्य होगा

गलत के पर्याप्त विवरण के साथ इच्छित सूट जिसकी शिकायत की गई हो, ऐसा न करने पर ऐसा मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा।

(3) वाद यह निर्धारित करेगा कि प्रतिवादी को और ऐसी सेवा की तारीख को उपरोक्त सूचना दी गई है, और यह बताएगा कि क्या कोई है, और यदि ऐसा है, तो प्रतिवादी द्वारा किस प्रकार का संशोधन किया गया है। उक्त सूचना की एक प्रति समर्थित या उसके साथ शिकायत के साथ संलग्न की जाएगी। वादी द्वारा सेवा के समय और तरीके की घोषणा

वहाँ से "।

20. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 सुविधा के लिए नीचे दी गई है:

197. न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन।

(1) जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था जो अपने पद से हटाने योग्य नहीं है, सिवाय इसके कि या सरकार की मंजूरी के साथ उस पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाता है जो उसके द्वारा कार्य करते समय किया गया था या

अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने का तात्पर्य, कोई अदालत नहीं

पूर्व मंजूरी को छोड़कर ऐसे अपराध का संज्ञान लेगा।

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार के संघ के मामलों के संबंध में नियोजित कथित अपराध के समय था;

खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी की गई उद्घोषणा किसी राज्य में लागू थी, खंड (ख) इस तरह लागू होगा जैसे कि "उसमें होने वाली राज्य सरकार" अभिव्यक्ति के लिए, "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति थी प्रतिस्थापित।

(2) कोई भी न्यायालय किसी भी कथित अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, सिवाय इसके कि संघ की पूर्व मंजूरी के साथ

केंद्र सरकार।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (2) के प्रावधान ऐसे वर्ग पर लागू होंगे या

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रभारित बलों के सदस्यों की श्रेणी, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहां भी वे सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उसमें आने वाली "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति के लिए, "राज्य" अभिव्यक्ति लागू होगी।

"सरकार" को प्रतिस्थापित किया गया।

21. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री साजन पूवय्या ने प्रस्तुत किया कि निजी शिकायत के साथ-साथ

निजी शिकायत का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट के दिनांक 1 के आदेश को कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 170 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी के अभाव में उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए था।

22. श्री पूवय्या ने तर्क दिया कि अन्यथा भी अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ कोई मामला नहीं था। यह मानते हुए भी कि कोई बीमारी थी

अपीलार्थी के साथ किया गया व्यवहार, जब वह पुलिस हिरासत में था, आरोपी अपीलार्थी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं था, जो जांच अधिकारी नहीं था, बल्कि पुलिस उपायुक्त था।

23. श्री पूवय्या ने यह भी जोरदार तर्क दिया कि प्रतिवादी को 27.02.2013 पर गिरफ्तार किया गया था, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था।

28.02.2013 , जिस तारीख को उसे इस निष्कर्ष के साथ पुलिस हिरासत में भेज दिया गया कि पुलिस द्वारा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। प्रतिवादी के पिता द्वारा उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद भी, उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी दुर्व्यवहार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

24. श्री पूवय्या ने तर्क दिया कि जांच के दौरान पुलिस की ज्यादतियों और प्रतिवादी की पुलिस हिरासत के आरोप में एक

एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपीलार्थी के कर्तव्य के साथ उचित संबंध। भले ही कार्य कर्तव्य की अवहेलना या कर्तव्य की अधिकता में था, यह था फिर भी एक पुलिस अधिकारी के रूप में अधिकार का प्रयोग

करते हुए, एक कथित अपराध की जांच के संबंध में जिसमें प्रतिवादी को शामिल होने का आरोप लगाया गया था। पुलिस अधिकारी डी. देवराजा बनाम की जाँच करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।

ओवैस सेबर हुसैन [इंदिरा बनर्जी, जे.]

एक अपराध। कथित ज्यादतियाँ किसी अपराध की जाँच के ऐसे आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के क्रम में थीं।

25. श्री पूवय्या ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के तहत, किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई अभियोजन नहीं चलाया जाना चाहिए, सिवाय सरकार की पूर्व मंजूरी के, ऐसे अधिकारी द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी गलत कार्य के मामले में, कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 के किसी भी प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून, या यहां तक कि किसी ऐसे कर्तव्य या प्राधिकरण के रंग या उससे अधिक के तहत किए गए किसी भी कार्य द्वारा उसे दिए गए किसी भी कर्तव्य या अधिकार के अनुसरण में किसी भी कार्य द्वारा। इसलिए अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को धारा 482 के तहत रद्द कर दिया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के तहत मंजूरी के अभाव में दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के साथ पढ़ा जाता है। कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963। अपने तर्क के समर्थन में, श्री पूवय्या

डी. टी. विरूपाक्षप्पा बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया। सी. सुभाष 1, विरूपाक्सप्पा वीरप्पा कदमपुर बनाम। मैसूर राज्य 2, शंकरन

मोइत्रा वी. साधना दास और अन्य 3 और के. के. पटेल और अन्य बनाम। गुजरात राज्य और दूसरा। श्री पूवय्या ने उड़ीसा राज्य बनाम का भी हवाला दिया। गणेश चंद्र यहूदी।

26. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि क्या मंजूरी दी गई है।

शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना आवश्यक था या नहीं, जो इस मामले में, प्रत्यर्थी के साथ शारीरिक यातना और दुर्व्यवहार का था। दुर्व्यवहार और यातना कभी भी आधिकारिक कर्तव्य के प्रयोग में या आधिकारिक कर्तव्य के रंग में भी नहीं हो सकती थी।

27. श्री लूथरा ने आगे तर्क दिया कि, किसी भी मामले में, मंजूरी आवश्यक थी या नहीं, संबंधित पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे के दौरान निर्धारित करना होगा। मंजूरी के अभाव के आधार पर शिकायत को जल्दबाजी में नहीं मिटाया जाना चाहिए।

28. श्री लूथरा ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक मजिस्ट्रेट का आदेश, एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए धारा के तहत चुनौती देने योग्य नहीं था।

(2015) 12 एस. सी. सी. 331 2 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 849

3 3 (2006) 4 एससीसी 584 4 (2000) 6 एससीसी 195 5 (2004) 8 एससीसी 40

482 दंड प्रक्रिया संहिता। उच्च न्यायालय ने शिकायत को उचित रूप से निचली अदालत में भेज दिया।

29. श्री लूथरा ने इस तर्क के साथ निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त

अपीलार्थी को अपील के तहत निर्णय और आदेश के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 245 के तहत आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है।

प्रक्रिया और विचारण न्यायालय को इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है, यदि अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की योग्यता के आधार पर साक्ष्य दर्ज करने से पहले किया गया।

30. श्री सिद्धार्थ लूथरा ने अपने तर्कों के समर्थन में इसका हवाला दिया है।

निम्नलिखित मामलेः

(1) देविंदर सिंह और अन्य। वी. सी. बी. आई. के माध्यम से पंजाब राज्य

7

(2) महाराष्ट्र राज्य बनाम। आत्मा राम (3) भानुप्रसाद हरिप्रसाद डेव बनाम। गुजरात राज्य 3

(4) आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। एन. वेणुगोपाल और अन्य '

(5) सत्यवीर सिंह राठी, सहायक पुलिस आयुक्त

& ओआरएस। वी. राज्य Thr. सीबीआई 1 0

(6) बख्शीश सिंह बरार बनाम। गुरमेज कौर & Anr.[11] (7) ओम प्रकाश और ओआरएस। वी. झारखंड राज्य & Anr.[12]

31. इस अपील में उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए, यह है

दांडिक की धारा 197 के दायरे और प्रभाव की जांच करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया संहिता और/या कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 170। यह जांच करना आवश्यक है कि क्या मंजूरी की कमी से सभी मामलों में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बाधित होगी? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में मंजूरी की आवश्यकता है।

32. अभियोजन के लिए मंजूरी का उद्देश्य, चाहे वह धारा के तहत हो

197 दंड प्रक्रिया संहिता, या कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के तहत, एक लोक सेवक/पुलिस अधिकारी की सुरक्षा के लिए है।

6 (2016) 12 एससीसी 87

7 ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1786 8 आकाशवाणी 1968 एससी 1323

9 9 ए. आई. आर 1964 एस. सी. 33

10 (2011) 6 एससीसी 1

11 (1987) 4 एस. सी. सी. 663

12 (2012) 12 एस. सी. सी. 72 डी. देवराजा बनाम

ओवैस सेबर हुसैन [इंदिरा बनर्जी, जे.]

जवाबी आपराधिक कार्यवाही शुरू करके उत्पीड़न से आधिकारिक कर्तव्यों और कार्यों को रोकना। जैसा कि एक संविधान पीठ ने कहा है

माटाजोग डोबे बनाम में एस कोर्ट। एच. सी. भरी 1 3 आयोजितः

" ..... लोक सेवकों को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए, जबकि आम नागरिकों को इस सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के बीच किसी भी भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है।

जनता के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले में एक और

लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए या किए जाने वाले कार्य के लिए सेवक। कोई नहीं कर सकता।

इस तरह की मंजूरी के बिना ऐसी कार्यवाही करें। 33. पुखराज बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य 1 4 यह न्यायालय

" 2. .....जबकि कानून अच्छी तरह से तय किया गया है, वास्तव में किसी विशेष मामले के तथ्यों पर कानून को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस धारा के पीछे का उद्देश्य लोक सेवकों को अनावश्यक रूप से परेशान होने से रोकना है। अनुभाग प्रतिबंधित नहीं है

केवल सद्भावना से की जाने वाली किसी भी चीज़ के मामलों में, एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के निष्पादन में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, वह अभी भी ऐसा करने का इरादा रखता है, हालांकि उसका इरादा बेईमान हो सकता है।

न ही यह उन मामलों तक सीमित है जहां अधिनियम, जो अपराध का गठन करता है, संबंधित अधिकारी का आधिकारिक कर्तव्य है। इस तरह की व्याख्या में शब्दों में विरोधाभास शामिल होगा,

क्योंकि अपराध कभी भी आधिकारिक कर्तव्य नहीं हो सकता है। अपराध तब किया जाना चाहिए था जब कोई कार्य कर्तव्य के निष्पादन में किया जाता है या जब कोई कार्य किया जाना अभिप्रेत होता है

कर्तव्य का निष्पादन। परीक्षण यह प्रतीत नहीं होता है कि अपराध केवल एक लोक सेवक द्वारा किया जा सकता है और किसी और द्वारा नहीं, बल्कि यह कि यह एक लोक सेवक द्वारा कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने वाले कार्य में किया जाता है। इस धारा को केवल ऐसे कार्यों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है जो एक लोक सेवक द्वारा सीधे अपनी जनता के अनुसरण में किए जाते हैं।

पद, यद्यपि कर्तव्य से अधिक या इस तरह के कर्तव्य के अस्तित्व के बारे में गलत धारणा के तहत। न ही अपराध का गठन करने वाले अधिनियम को आधिकारिक कर्तव्य के साथ इतना अविभाज्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए कि यह एक ही लेन-देन का हिस्सा बन जाए। क्या है?

1956 एससी 44

आवश्यक यह है कि अपराध किसी आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए या किए जाने वाले कार्य के संबंध में होना चाहिए। यह लोक सेवक द्वारा विशुद्ध रूप से निजी क्षमता में किए गए कार्यों पर लागू नहीं होता है। 'क्षमता में' जैसी अभिव्यक्तियाँ अधिनियम ',' पद का लबादा 'और' पद का कथित अभ्यास 'हमेशा धारा के दायरे का वर्णन या परिसीमन करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। केवल लापरवाही से किए जाने के कारण किया गया कार्य एक बार किया जाना या किया जाना बंद नहीं होता है।

किसी कर्तव्य के निष्पादन में किए जाने का तात्पर्य।

34. अमरीक सिंह बनाम। पेप्सू राज्य "इस न्यायालय ने डॉ. होरी राम सिंह बनाम में संघीय न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया। सम्राट 1 6;

एच. एच. बी. गिल बनाम एच. एच. बी. गिल बनाम में सम्राट और प्रिवी काउंसिल का निर्णय। आर 1 8 और आयोजितः

" ..... अधिकारियों के परिणाम का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः लोक सेवक द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, न ही उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए, जबकि वह वास्तव में अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में लगा हुआ है, लेकिन यदि शिकायत किया गया कार्य सीधे तौर पर उसके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित है, ताकि, यदि सवाल किया जाए, तो यह दावा किया जा सके कि यह पद के आधार पर किया गया है, तो मंजूरी आवश्यक होगी; और यह ऐसा होगा, चाहे वह वास्तव में, उसके कर्तव्यों का उचित निर्वहन हो, क्योंकि

वास्तव में गुण-दोष के आधार पर बचाव का मामला होगा, जिसकी मुकदमे में जांच की जानी चाहिए, और मंजूरी देने के चरण में उत्पन्न नहीं हो सकता है, जो इससे पहले होना चाहिए

अभियोजन की संस्था "।

35. दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 197, जिसे इसके बाद पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है, जो माताजोग डोबे (ऊपर), पुखराज (ऊपर) और अमरीक सिंह (ऊपर) में विचार के लिए आई थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के समान है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता को निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया है।

15 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 309 16 ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 43 17 ए. आई. आर. 1947 एफ. सी. 9

18 एयर 1948 पी. सी. 128 डी. देवराज बनाम।

ओवैस सेबर हुसैन [इंदिरा बनर्जी, जे.]

36. गणेश चंद्र यहूदी (ऊपर) में इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 7. धारा 197 के तहत दिया गया संरक्षण जिम्मेदार लोक सेवकों को उनके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए संभवतः परेशान करने वाली आपराधिक कार्यवाही की स्थापना से बचाने के लिए है, जब वे कार्य कर रहे हों या उद्देश्यपूर्ण हों।

लोक सेवकों के रूप में कार्य करना। विधायिका की नीति लोक सेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा उचित कारण के बिना अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के लिए उन पर मुकदमा न चलाया जाए और यदि मंजूरी दी जाती है, तो सरकार को, यदि

अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हुआ है और यह केवल आपत्तिजनक कार्य करने के लिए एक लबादा नहीं है। अगर करते हैं। उनका आधिकारिक कर्तव्य, उन्होंने अपने कर्तव्य से अधिक कार्य किया, लेकिन कार्य और प्रदर्शन के बीच एक उचित संबंध है

आधिकारिक कर्तव्य की अधिकता लोक सेवक को सुरक्षा से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी। सवाल अपराध की प्रकृति के बारे में नहीं है जैसे कि क्या कथित अपराध में एक तत्व शामिल है जो अनिवार्य रूप से अपराधी के लोक सेवक होने पर निर्भर करता है, लेकिन क्या यह था एक लोक सेवक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता के निर्वहन में इस तरह से कार्य करने या कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध। अनुभाग से पहले

197 आह्वान किया जा सकता है, यह दिखाया जाना चाहिए कि अधिकारी

संबंधित पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया था जो कथित तौर पर उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए किया गया था। यह कर्तव्य नहीं है जिसके लिए अधिनियम की तरह जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि आधिकारिक कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ-साथ इसकी अवहेलना दोनों में किया जा सकता है। अधिनियम को दायरे में आना चाहिए।

और लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों की सीमा

चिंतित हैं। यह अधिनियम की गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण है और इस धारा का संरक्षण उपलब्ध है यदि अधिनियम उसके आधिकारिक कर्तव्य के दायरे और सीमा के भीतर आता है। (जोर दिया गया)

37. उड़ीसा राज्य में v. गणेश चंद्र यहूदी (ऊपर) ने "आधिकारिक कर्तव्य" अभिव्यक्ति के उपयोग की व्याख्या करते हुए कहा कि सी. टी. या चूक लोक सेवक द्वारा पाठ्यक्रम [2020] 6 एस. सी. आर. में की गई होगी।

उसकी सेवा और यह कि यह उसके कर्तव्य के निर्वहन में होना चाहिए था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 सेवा में रहते हुए लोक सेवक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य या चूक के लिए अपने सुरक्षात्मक आवरण का विस्तार नहीं करती है। धारा के संचालन का दायरा केवल उन कार्यों या चूक तक सीमित है जो एक लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए जाते हैं। 38. श्रीकांतिया रामय्या मुनिपल्ली बनाम। बॉम्बे राज्य 1 9 9 इस न्यायालय ने पुरानी धारा 197 के दायरे और उद्देश्य को समझाया।

दंड प्रक्रिया संहिता, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के समान है। इस न्यायालय ने कहाः

" 18. अब यह स्पष्ट है कि यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 को बहुत संकीर्ण रूप से समझा जाता है तो इसे कभी भी नहीं माना जा सकता है।

लागू किया, निश्चित रूप से यह एक अधिकारी के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है

एक अपराध करें और कभी नहीं हो सकता। लेकिन यह कर्तव्य नहीं है कि हम अधिनियम की इतनी जांच करें, क्योंकि एक आधिकारिक कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ-साथ इसकी अवहेलना में भी किया जा सकता है। इस खंड में विषय-वस्तु और इसकी भाषा है

अर्थ दिया जाना चाहिए। यह क्या कहता है

' जब किसी लोक सेवक पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है।

कथित रूप से कार्य करते समय उसके द्वारा किया गया था या

अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने का तात्पर्य। '

इसलिए हमें पहले 'अपराध' शब्द पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

19. अब एक अपराध में शायद ही कभी एक ही कार्य शामिल होता है। यह आमतौर पर कई तत्वों से बना होता है और एक नियम के रूप में, इसे स्थापित करने से पहले कृत्यों की एक पूरी श्रृंखला को साबित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, दूसरे अभियुक्त के खिलाफ कथित तत्व हैं, पहला, कि एक 'प्रत्यर्पण' और/या 'प्रभुत्व' था; दूसरा, कि प्रत्यर्पण और/या प्रभुत्व 'उसके अधिकार में' था। लोक सेवक के रूप में क्षमता '; तीसरा, कि एक' निपटान 'था; और चौथा, कि निपटान' बेईमान 'था। अब यह स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्यर्पण और/या प्रभुत्व एक आधिकारिक क्षमता में था, और यह समान रूप से स्पष्ट है कि इस मामले में कोई भी निपटान, वैध या अन्यथा नहीं हो सकता था, सिवाय एक आधिकारिक क्षमता में किए गए या किए जाने वाले कार्य के। इसलिए, जिस अधिनियम की शिकायत की गई थी, अर्थात्, निपटान, नहीं हो सकता था

किसी अन्य तरीके से किया गया। अगर यह निर्दोष था, तो यह एक अधिकारी था

19 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 287 डी. देवराज बनाम।

ओवैस सेबर हुसैन [इंदिरा बनर्जी, जे.]

अधिनियम; यदि बेईमान है, तो यह एक आधिकारिक कार्य का बेईमान करना था, लेकिन दोनों ही घटनाओं में यह कार्य आधिकारिक था क्योंकि दूसरा अभियुक्त सामान का निपटान नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि ऐसा करने से

एक आधिकारिक कार्य, अर्थात्, आधिकारिक रूप से उनके निपटान की अनुमति देना; और यह कि उसने किया। उन्होंने वास्तव में उनकी रिहाई की अनुमति दी और एक आधिकारिक क्षमता में ऐसा करने का इरादा किया, और इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने निजी तौर पर काम करने का नाटक नहीं किया, कोई अन्य तरीका नहीं था जिसमें वे ऐसा कर सकते थे। इसलिए, इस कृत्य के पीछे जो भी इरादा या उद्देश्य रहा हो, उसका भौतिक हिस्सा अपरिवर्तित रहा, इसलिए यदि यह एक मामले में आधिकारिक था तो यह दूसरे में भी समान रूप से आधिकारिक था, और अंतर केवल उस इरादे में होगा जिसके साथ यह किया गया थाः एक घटना में, यह एक आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया जाएगा और दूसरे में, के कथित निर्वहन में

यह "।

39. पुरानी आपराधिक संहिता की धारा 197 का दायरा

एडुर, पी. अरुलस्वामी बनाम मद्रास राज्य में भी माना जाता था

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" ..... यह अधिनियम की गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण है और यदि यह उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे और सीमा के भीतर आता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 द्वारा अनुध्यात संरक्षण आकर्षित किया जाएगा। यदि अधिनियम आधिकारिक कर्तव्य से पूरी तरह से असंबद्ध है, तो कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। यह केवल तभी होता है जब यह या तो भीतर होता है

आधिकारिक कर्तव्य का दायरा या इससे अधिक कि संरक्षण

दावा करने योग्य है "। 40. बी. साहा और अन्य बनाम। एम. एस. कोचर 21 इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 18. संक्षेप में, इस धारा की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि आरोपित अपराध, चाहे वह कमीशन या चूक का हो, वह होना चाहिए जो लोक सेवक द्वारा या तो अपनी आधिकारिक क्षमता में या उसके द्वारा धारण किए गए पद के रंग के तहत किया गया हो।

41. विरूपाक्सप्पा वीरप्पा कदमपुर बनाम। मैसूर राज्य (उपर्युक्त) Mr.Poovayya द्वारा उद्धृत, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

1967 एससी 776

बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 161 के संदर्भ में, जो कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के समान है, ने "कर्तव्य के तहत" वाक्यांश की व्याख्या "कर्तव्य की आड़ में किए गए कार्यों" के रूप में की थी, भले ही इसके आधार पर नहीं

कर्तव्य "। 42. विरूपाक्सप्पा वीरप्पा कदमपुर (ऊपर) में इस न्यायालय ने "पद का रंग" शब्दों के अर्थ का उल्लेख किया है।

व्हार्टन का लॉ लेक्सिकन, 14 वां संस्करण। जो इस प्रकार हैः

" कार्यालय का रंग "

" जब कोई कार्य किसी कार्यालय के चेहरे द्वारा अन्यायपूर्ण रूप से किया जाता है, जो भ्रष्टाचार पर आधारित होता है, जिसके लिए कार्यालय छाया और रंग की तरह होता है।

43. इस न्यायालय ने "पद के रंग" के अर्थ का भी उल्लेख किया।

डी का न्यायिक शब्दकोश, तीसरा संस्करण, नीचे दिया गया हैः

रंगः " पद का रंग हमेशा सबसे खराब भाग में लिया जाता है, और एक कार्यालय के चेहरे द्वारा किए गए बुरे कार्य को दर्शाता है, और यह कार्यालय के अधिकार का एक अलग चेहरा रखता है, जबकि कार्यालय झूठ का एक पर्दा है, और बात बुराई पर आधारित है, और कार्यालय इसकी छाया के रूप में है। लेकिन पद के कारण 'और' पद के आधार पर हैं

हमेशा सबसे अच्छे हिस्से में लिया जाता है। 44. ऊपर उल्लिखित लॉ लेक्सिकन का उल्लेख करने के बाद, यह

आयोजितः

" हमें ऐसा लगता है कि कर्तव्य के रंग के तहत शब्द हैं

एस में उपयोग किया गया। 161 (1) कर्तव्य की आड़ में किए गए कार्यों को शामिल करना, भले ही कर्तव्य के आधार पर नहीं। जब वह (पुलिस अधिकारी) एक झूठा पंचनामा या एक झूठी रिपोर्ट तैयार करता है तो वह स्पष्ट रूप से अपने कानूनी कर्तव्य के अस्तित्व का उपयोग एक लबादा के रूप में कर रहा होता है।

उसके भ्रष्ट कार्य के लिए या कफन में शब्दों का उपयोग करने के लिए

उनके झूठ के पर्दे के रूप में शब्दकोश। इस प्रकार उसके कर्तव्य की अवहेलना में किए गए कार्यों को "कर्तव्य के रंग में" किया गया माना जाना चाहिए।

45. ओम प्रकाश और अन्य बनाम झारखंड राज्य और

(ऊपर) इस न्यायालय ने पुलिस की अधिकता से संबंधित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, धारा के तहत सुरक्षा के दायरे को समझायादंड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार हैः

" 32. इस बात की सही परीक्षा कि क्या कोई लोक सेवक कार्य कर रहा था

या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने का तात्पर्य होगा

क्या शिकायत किया गया कार्य सीधे उनके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा था या यह उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था या यह उनके कार्यालय के साथ इतना अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था या उससे जुड़ा हुआ था कि इससे अविभाज्य हो (के. सतवंत सिंह [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 266])। संहिता की धारा 197 के तहत दिए गए संरक्षण की कुछ सीमाएँ हैं और यह केवल तभी उपलब्ध है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उचित रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हो और यह केवल आपत्तिजनक कार्य करने के लिए एक कवच नहीं है। अगर वह अपना आधिकारिक कार्य कर रहा है। कर्तव्य , उसने अपने कर्तव्य से अधिक कार्य किया, लेकिन अधिनियम और आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के बीच एक उचित संबंध है, अतिरिक्त को वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा

संरक्षण के लोक सेवक (गणेश चंद्र यहूदी)

[(2004) 8 एससीसी 40])। यदि उपरोक्त परीक्षण वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं, तो पुलिस को संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि शिकायत किए गए कार्य उनके कार्यालय के साथ इतने अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं या उससे जुड़े हुए हैं कि वे इससे अविभाज्य हैं। हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि संहिता की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा का उपयोग इस मामले में पुलिस कर्मियों द्वारा मृतक की निर्मम हत्या के लिए किया जाता है। (जोर देना आपूर्ति की गई)

46. शंकरन मोइत्रा बनाम। साधना दास और अन्य 22 ने एच. एच. बी. गिल बनाम का उल्लेख किया। आर 23, एच. एच. बी. गिल बनाम। सम्राट 24; श्रीकांतिया रामय्या मुनिप्पली बनाम। बॉम्बे राज्य 25; अमरीक सिंह बनाम। पेप्सू राज्य "26 6; माताजोग डोबे बनाम। एच. सी. भारी "; पुखराज बनाम। राजस्थान राज्य 28; बी. साहा और अन्य बनाम। एम. एस. कोचर 2 9; बख्शीश सिंह बरार बनाम। गुरमेज कौर 3-0; रिजवान अहमद जावेद शेख और अन्य बनाम। जमाल पटेल और अन्य 3 1 और आयोजितः

22 (2006) 4 एस. सी. सी. 584

26 ए. आई. आर 1955 एस. सी. 309 27 आकाशवाणी 1956 एस. सी. 44

29 (1979) 4 एससीसी 177 30 (1987) 4 एस. सी. सी. 663

31 (2001) 5 एससीसी 7 [2020] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 25. उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक व्यक्ति की हत्या

अत्यधिक बल का प्रयोग कभी भी कर्तव्य का पालन नहीं हो सकता है। यह जहाँ तक जाता है, सही हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह कार्य कर्तव्य के पालन में किया गया था या कर्तव्य के कथित प्रदर्शन में किया गया था। यदि यह कर्तव्य के पालन या कर्तव्य के कथित प्रदर्शन में किया गया था, तो संहिता की धारा 197 (1) को इस तर्क से दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जा सकती है।

यह कभी भी आधिकारिक क्षमता में नहीं किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप संहिता की धारा 197 (1) को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। इस तरह का तर्क

इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात के खिलाफ होगा

जिसका उल्लेख पहले किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह है कि यदि उच्च न्यायालय मंजूरी के अभाव के आधार पर हस्तक्षेप करता है, तो लोगों का न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास कम हो जाएगा। वैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने का आधार भी नहीं हो सकता है।

आवश्यकता या संरक्षण। संस्थान में जनता का विश्वास हो सकता है

इसके भीतर आने वाले मनोरंजक कारणों द्वारा बनाए रखा जाए

अधिकारिता, कानून और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और बिना किसी देरी के लगन से उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करके। अधिकारिता या वैधानिक के साथ वितरण

आवश्यकताएँ जो अंततः निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं

स्वयं, इसके परिणामस्वरूप लोग व्यवस्था में विश्वास खो देंगे। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उस ओर से दिया गया कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) के तहत मंजूरी की अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि इस मामले में धारा 197 (1) के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। हम मानते हैं कि इस तरह की मंजूरी आवश्यक थी और मंजूरी के अभाव में अभियोजन को इस स्तर पर रद्द किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता के विद्वान वकील के निवेदन का जवाब देना अब हमारे लिए नहीं है कि यह

इस तरह की मंजूरी देने के लिए एक विशिष्ट रूप से उपयुक्त मामला है।

47. शंकरन मोइत्रा ए) में सी. के. ठक्कर जे. का असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण कुछ हद तक श्री लूथरा के तर्क का समर्थन करता है। हालाँकि, ई बहुमत के दृष्टिकोण से बंधे हैं। इसके अलावा सी. के. ठक्कर, जे. की असहमति भी एक चरम मामले के संदर्भ में थी।

शिकायतकर्ता पर हमला करके।

48. के. के. पटेल और एक अन्य बनाम। गुजरात राज्य और Anr.³2 अदालत ने विरूपाक्सप्पा वीरप्पा कदमपुर (ऊपर) को संदर्भित किया और

00) 6 एस. सी. सी. 195 डी. देवराज बनाम ओवैस सेबर हुसैन [इंदिरा बनर्जी, जे.]

" 17. उक्त अपराध का अपरिहार्य घटक यह है कि अपराधी को "एक लोक सेवक के रूप में" कार्य करना चाहिए था। इसका अगला घटक यह है कि ऐसे लोक सेवक ने उस तरह के लोक सेवक के रूप में जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए था, उससे संबंधित किसी भी कानूनी निर्देश की अवज्ञा में काम किया है। आई. पी. सी. की धारा 167 और 219 के तहत अपराधों के लिए महत्वपूर्ण घटक आई. पी. सी. की धारा 166 के तहत अपराध के लिए समान है। शेष अपराधों में आरोप लगाया गया

शिकायत, उसमें किए गए अभिकथनों के आलोक में, उपरोक्त के सहायक अपराध हैं और सभी अपराध एक ही लेन-देन के भाग हैं। वे कम से कम कार्यालय या प्राधिकरण के रंग के बिना प्रतिबद्ध नहीं हो सकते थे। जिसे अपीलार्थियों
ने धारण किया था। ”

49. श्री पूवय्या ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ दायर की गई शिकायत प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग, तुच्छ थी

और दुर्भावनापूर्ण। प्रत्यर्थी के आरोप का विरोध करते हुए

पुलिस ज्यादतियों की शिकायत, जब प्रतिवादी अपराध संख्या 12/2012 के संबंध में 27 फरवरी, 2013 और 14 मार्च, 2013 के बीच पुलिस हिरासत में था, श्री पूवय्या ने उक्त अपराध में 28 फरवरी, 2013 के विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लेख किया।

मामला, यह देखते हुए कि प्रतिवादी ने पुलिस द्वारा किसी भी खराब व्यवहार की शिकायत नहीं की थी।

50. श्री पूवय्या ने प्रस्तुत किया कि विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने, किसी भी मामले में, चिकित्सा जांच के लिए एक आदेश पारित किया था

51. हरियाणा राज्य और अन्य में इस न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए v. भजन लाल और अन्य 3 3, श्री पूवय्या ने तर्क दिया कि जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित होती है और निजी या व्यक्तिगत द्वेष के कारण प्रतिशोध के गुप्त उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति होनी चाहिए 33 1992 पूरक।

न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और/या सुरक्षित करने के लिए

न्याय की।

52. उड़ीसा राज्य बनाम गणेश चंद्र यहूदी (ऊपर) में उद्धृत आर। पूवय्या, इस न्यायालय ने, इसी तरह की परिस्थितियों में, भजन लाल (ऊपर) का उल्लेख किया था और कहा थाः

" .....ऊपर बताए गए तथ्यात्मक परिदृश्य से पता चलता है कि

28-2-1991 पर प्रत्यर्थी को इससे पहले पेश किया गया था

मजिस्ट्रेट। उनसे विशेष रूप से पूछा गया था कि क्या वहाँ कोई बुरा इलाज था। लर्नड एस. डी. जे. एम. विशेष रूप से दर्ज करता है कि किसी भी दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं की गई थी। यह खुद ही हमला करता है

शिकायत की विश्वसनीयता पर। हालांकि कई हैं

में दर्शाए गए संस्करण में उजागर किए गए अन्य पहलू

शिकायत और अभिलेख पर सामग्री है, हम शिकायतकर्ता के मामले और पेटेंट पुरुष की अंतर्निहित असंभवताओं के कारण उनमें जाना आवश्यक नहीं समझते हैं।

विश्वास शामिल हैं "

53. के. के. पटेल और अन्र. बनाम गुजरात राज्य और अन्र। यह

आयोजितः

" 11. इसके अलावा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का यह विचार कि संहिता की धारा 397 (2) में निहित बाधा के कारण कोई संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं था, स्पष्ट रूप से है।

गलत है। अब यह लगभग तय हो गया है कि यह तय करने में कि चुनौती दिए गए आदेश धारा के लिए अंतर्वर्ती है या नहीं।

397 (2) संहिता की एकमात्र परीक्षा यह नहीं है कि क्या ऐसा आदेश अंतरिम चरण के दौरान पारित किया गया था (अमर नाथ बनाम। हरियाणा राज्य (1977) 4 एस. सी. सी. 137, मधु लिमये बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 4 एस. सी. सी. 551, वी. सी. शुक्ला बनाम सी. बी. आई. 1980 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 92 और राजेंद्र कुमार सीताराम पांडे बनाम के माध्यम से राज्य। उत्तम (1999) 3 एससीसी 134)। व्यवहार्य परीक्षा यह है कि क्या किसी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों को बरकरार रखने से, इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, यदि ऐसा है तो इस पर कोई आदेश पारित किया गया है।

आपत्तियाँ केवल अंतर्वर्ती प्रकृति की नहीं होंगी

संहिता की धारा 397 (2) में परिकल्पित। वर्तमान मामले में, यदि अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति को बरकरार रखा गया था अदालत ने अभियोजन की पूरी कार्यवाही को समाप्त कर दिया होता। इसलिए, उक्त मानक के अनुसार, आदेश पर पुनर्विचार किया जा सकता था।

12. इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि सत्र न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश संहिता की धारा 397 (2) में निहित बाधा को देखते हुए पुनर्विचार योग्य नहीं था।

क्या विद्वत मजिस्ट्रेट कथित अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता था जो इसके संबंध में पुलिस की ज्यादती का था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत राज्य सरकार से मंजूरी के बिना आपराधिक मामले की जांच और क्या उच्च न्यायालय को अकेले उसी आधार पर कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था।

55. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुलिस की ज्यादती का पूरा आरोप

आपराधिक मामले की जांच के साथ संबंध, अपीलार्थी के आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के साथ यथोचित रूप से जुड़ा हुआ था। इसलिए, विद्वान मजिस्ट्रेट राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना मामले का संज्ञान नहीं ले सकते थे। इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत संबंधित पुलिसकर्मी के आवेदन को खारिज करते हुए विवादित आदेश पारित करने में इस महत्वपूर्ण बिंदु से चूक गया था।

56. गणेश चंद्र यहूदी (ऊपर) में, मजिस्ट्रेट ने, जैसा कि

इस मामले में, विशेष रूप से दर्ज किया गया था कि किसी भी खराब व्यवहार की कोई शिकायत नहीं थी। इस न्यायालय का विचार था कि कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तदनुसार, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत में उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। प्रक्रिया कोड।

57. देविंदर सिंह और अन्य। वी. श्री लूथरा द्वारा उद्धृत सी. बी. आई. (उपरोक्त) के माध्यम से पंजाब राज्य स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि यह पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ में हत्या का मामला था। सत्यवीर सिंह राठी, सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य। वी. राज्य Thr. सी. बी. आई. (उपरोक्त) एक फर्जी मुठभेड़ से भी संबंधित है, जिसमें मृतक की पहचान गलती से एक कट्टर अपराधी के रूप में की गई थी और बिना उकसावे के उसे गोली मार दी गई थी। पुलिस का यह कथन कि पुलिस पर पहले हमला किया गया था और जवाबी कार्रवाई की गई थी, गलत पाया गया। इन तथ्यों के आलोक में, कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह किसी भी तरह से किसी के द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है कि हत्या का मामला "कर्तव्य के रंग" की अभिव्यक्ति के भीतर हो सकता है।

अदालत ने संबंधित पुलिसकर्मियों की अपीलों को खारिज कर दिया

अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत पुष्टि की गई थी। फैसला स्पष्ट रूप से अलग है।

58. आंध्र प्रदेश राज्य में इस न्यायालय का निर्णय v. एन. वेणुगोपाल (ऊपर) इस मामले में विशिष्ट हैं कि संबंधित पुलिसकर्मी,

सब इंस्पेक्टर होने के नाते, हेड कांस्टेबल और एक पुलिस स्टेशन से जुड़े एक कांस्टेबल ने घर तोड़ने और चोरी की एक निजी शिकायत के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पूछताछ के लिए शिकायतकर्ता को बिना वारंट के अवैध रूप से हिरासत में लिया था, बयान निकालने के लिए निजी शिकायतकर्ता के साथ उस पर हमला किया था और उसे घायल स्थिति में छोड़ दिया था। 59. उपरोक्त के संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई अधिनियम केवल इस कारण से कानून के प्रावधान के तहत नहीं है कि वह किस समय पर किया गया है।

प्रावधान और अधिनियम। इस तरह के संबंध के अभाव में, अधिनियम को कानून के विशेष प्रावधान के तहत नहीं कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध के संदिग्ध व्यक्ति को मारना या उसे कैद करना या उसे घायल स्थिति में भेजना, ऐसे समय में जब पुलिस जांच में लगी हुई थी, मद्रास जिला पुलिस अधिनियम या आपराधिक प्रक्रिया संहिता या पुलिस को शक्तियां प्रदान करने वाले किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत किए गए या किए जाने वाले कार्य थे। यह नहीं कहा जा सकता कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के प्रावधानों ने पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति की जांच करने के लिए उसे पीटने या उसे किसी विशेष बयान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सीमित करने के लिए अधिकृत किया। 60. भानुप्रसाद हरिप्रसाद डेव बनाम। गुजरात राज्य (ऊपर) संबंधित हेड कांस्टेबल पर अवैध रिश्वत प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति को बचाने के बेईमान इरादे से एक झूठी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया गया था, जिससे गांजा जब्त किया गया था। अदालत ने कहा कि अवैध संतुष्टि की मांग और/या स्वीकृति को कर्तव्य के रंग के तहत किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया और उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। संबंधित हेड कांस्टेबल इस अदालत में जमानत की मांग कर रहा था।

61. महाराष्ट्र राज्य में निर्णय v. उच्च न्यायालय के एक निर्णय और आदेश की अपील में आत्मा राम (उपरोक्त) को प्रस्तुत किया गया था,

जिसके तहत उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 330,342,343 और 328 के तहत संबंधित पुलिसकर्मियों की दोषसिद्धि को उलट दिया था, जिसमें अभियोजन को बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 161 (1) के तहत प्रतिबंधित किया गया था। राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 64 (बी) जो प्रत्येक पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने या ऐसे अपराध करने के लिए साजिश रचने के संबंध में खुफिया जानकारी प्राप्त करने और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने या संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए ऐसे अन्य कदम उठाने का कर्तव्य प्रदान करती है, किसी भी पुलिस अधिकारी को परीक्षा के दौरान व्यक्तियों को पीटने के लिए अधिकृत नहीं करती है ताकि उन्हें कोई विशेष बयान देने के लिए प्रेरित किया जा सके या ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा सके। शिकायत किए गए कार्य तथ्यात्मक रूप से किसी भी कर्तव्य या अधिकार के तहत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, संबंधित पुलिसकर्मियों को बरी करने के उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

साक्ष्य को नुकसान पहुँचाना। अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो मंजूरी का सवाल बाद में उठाया जा सकता है। 63. ओम प्रकाश और अन्य में वी। झारखंड और अन्न राज्य। (ऊपर) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 34. माताजोग डोबे (ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 44) में इस न्यायालय की संविधान पीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि कुछ हद तक समान अभिव्यक्ति "किसी भी अपराध" का दायरा और अर्थ क्या है।

कथित रूप से कार्य करते समय उसके द्वारा किया गया था या

अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने का तात्पर्य "

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (5) 1898)। संविधान पीठ ने कहा कि कोई सवाल नहीं

धारा 197 के तहत मंजूरी तब तक हो सकती है जब तक कि अधिनियम

शिकायत एक अपराध है; निर्धारित करने का एकमात्र बिंदु [2020] 6 एस. सी. आर. है।

क्या यह आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था। उस पर

संविधान पीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि कौन सा अधिनियम उपरोक्त अभिव्यक्ति के दायरे में आता है कि अधिनियम और आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए; अधिनियम को कर्तव्य के साथ ऐसा संबंध रखना चाहिए कि अभियुक्त एक उचित, लेकिन एक ढोंग या काल्पनिक दावा नहीं कर सके कि उसने इसे अपने कर्तव्य के प्रदर्शन के दौरान किया था। इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या शिकायत दर्ज होते ही मंजूरी की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए और उसमें निहित आरोपों पर, संविधान पीठ ने होरी का हवाला दिया

राम सिंह (ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 43) ने कहा कि पहली नजर में, ऐसा लगता है कि होरी राम सिंह (ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 43) में इस दृष्टिकोण के लिए कुछ समर्थन है क्योंकि न्यायमूर्ति सुलेमान ने उक्त फैसले में कहा है कि चूंकि निषेध स्वयं संस्था के खिलाफ है, इसलिए इसकी प्रयोज्यता को पहली बार में संस्था के शुरुआती चरण में आंका जाना चाहिए और

जे. वरदाचारियार ने यह भी कहा हैः (माताजोग डोबे मामला (ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 44), ए. आई. आर. पी. 49 , पैरा 20)

" 20. प्रश्न का निर्धारण जनता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

आपराधिक कार्यवाही में सेवक "।

इस प्रकार कानूनी स्थिति का निपटारा संविधान पीठ द्वारा उपरोक्त पैराग्राफ में किया जाता है। मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं एक चरण से दूसरे चरण में निर्धारित करना पड़ सकता है। यदि, शुरुआत में, बचाव पक्ष यह स्थापित करता है कि किया जाने वाला कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन में है, तो शिकायत को उस आधार पर खारिज करना होगा।

42. यह पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है कि वे आरोपी को केवल इसलिए मारें क्योंकि वह एक खूंखार अपराधी है। निस्संदेह, पुलिस को अभियुक्तों को गिरफ्तार करना होगा और उन पर मुकदमा चलाना होगा। इस अदालत ने बार-बार ट्रिगर-हैप्पी पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई है, जो अपराधियों को खत्म कर देते हैं और घटना को मुठभेड़ के रूप में पेश करते हैं। इस तरह की हत्याओं की निंदा की जानी चाहिए। इन्हें हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन डी. देवराजा बनाम द्वारा कानूनी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

ओवैस सेबर हुसैन [इंदिरा बनर्जी, जे.]

प्रणाली। वे राज्य प्रायोजित आतंकवाद के बराबर हैं। लेकिन, एक

इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि ऐसे मामले हैं जहां पुलिस, जो अपना कर्तव्य निभा रही है, पर हमला किया जाता है और मार दिया जाता है। ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है और न्यायिक नोटिस दिया जाना चाहिए

इस तथ्य से लिया गया। ऐसी परिस्थितियों में जहां पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने का अपना कानूनी कर्तव्य निभाना होता है, वहीं उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है। मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता पुलिसकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करती है, जो हैं

कभी-कभी अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है

लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और उनकी रक्षा करना

खुद पर हमला करते हैं। जब तक निर्विवाद साक्ष्य न हो

यह स्थापित करने के लिए कि उनकी कार्रवाई अक्षम्य, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधी है, उन्हें अभियोजन के अधीन नहीं किया जा सकता है। प्रतिबंध उनके अभियोजन के लिए एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। यह ऐसे पुलिस कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। याचिका

मंजूरी के संबंध में शुरुआत में उठाया जा सकता है।

43. हमारी सुविचारित राय में, जिन तथ्यों पर हमने ऊपर चर्चा की है, उन्हें ध्यान में रखते हुए, इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई अक्षम्य या प्रतिशोधी है या पुलिस अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही थी। ज़ांडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड [(2005) 1 एस. सी. सी. 122] में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का उपयोग अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर यह प्रशिक्षित न्यायिक दिमाग को प्रतीत होता है कि एक

अभियोजन न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करेगा, संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। वास्तव में, तत्काल मामला ऐसे मामलों में से एक है जहां के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है

पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की आवश्यकता है।

64. पुखराज बनाम। राजस्थान राज्य (ऊपर) अभियुक्त पोस्ट एर जनरल, राजस्थान ने कथित तौर पर एक संघ को लात मारी थी और गाली दी थी जो उसके पास दौरे पर आने पर आया था।

प्रेषण। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक शिक्षा संहिता की धारा 197, जिसका उद्देश्य किसी लोक सेवक को राजद्रोही होने से रोकना है, किसी लोक सेवक द्वारा अपने निजी शहर में किए गए कार्यों पर लागू नहीं होती है। हालाँकि इस अदालत ने इसे अभियुक्त लोक सेवक [2020] 6 एस. सी. आर. के लिए खुला छोड़ दिया।

मुकदमे के दौरान अभिलेख पर सामग्री रखने के लिए यह दिखाने के लिए कि अधिनियम

शिकायत की गई थी जो उनके आधिकारिक कर्तव्य के साथ इतने परस्पर संबंधित थे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के संरक्षण को आकर्षित करते थे।

65. रिज़वान अहमद जावेद शेख और अन्य बनाम। जमाल पटेल और अन्य 34, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां

अभियुक्त पुलिसकर्मी शिकायतकर्ताओं को, जो उनकी हिरासत में थे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में विफल रहे, आरोप यह था कि कथित अपराध उनकी आधिकारिक क्षमता में था, हालांकि यह एक निश्चित समय पर वैध नहीं रहा होगा, और अभियुक्त पुलिस अधिकारी आपराधिक धारा 197 (2) के लाभ के हकदार होंगे।

प्रक्रिया संहिता।

66. बी. साहा बनाम में निर्णय। एम. एस. कोचर (ऊपर) को सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ माल के दुरुपयोग या रूपांतरण के आरोपों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय ने कहा कि जबकि संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल की जब्ती आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया एक कार्य था, माल के गबन या रूपांतरण के बाद के कार्यों को आधिकारिक कर्तव्य के रंग के तहत नहीं देखा जा सकता था। तदनुसार इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन के लिए मंजूरी आवश्यक नहीं थी।

67. कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का संज्ञान लेने और/या संज्ञान लेने के लिए मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित कानून, इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित अपने निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।

68. एक पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी

आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित कोई भी कार्य, पुलिस अधिकारी को उत्पीड़न, जवाबी कार्रवाई, बदला लेने और उत्पीड़न का सामना करने से बचाने के लिए अनिवार्य है। तुच्छ कार्यवाही। मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी की आवश्यकता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को विश्वास दिलाएगी

आपराधिक कार्रवाई शुरू करके प्रतिशोधी प्रतिशोध के डर के बिना अपने आधिकारिक कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन करें, जिससे उन्हें कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षित किया जाएगा।

साथ ही, यदि पुलिसकर्मी ने कोई गलती की है, जो एक आपराधिक अपराध है और उसे अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाता है, तो वह

उचित सरकार की मंजूरी से मुकदमा चलाया जा सकता है।

34 (2001) 5 एससीसी 7 डी. देवराजा बनाम।

ओवैस सेबर हुसैन [इंदिरा बनर्जी, जे.]

69. एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक अपराध कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 को आकर्षित नहीं करता है। कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत दिए गए संरक्षण की अपनी सीमाएँ हैं। सुरक्षा तभी उपलब्ध होती है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उचित रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा होता है और आधिकारिक कर्तव्य केवल आपत्तिजनक कार्य के लिए एक कवच नहीं होता है।

70. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के दायरे से पूरी तरह बाहर किए गए अपराध के लिए निश्चित रूप से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। उद्धृत करने के लिए

उदाहरण के लिए, एक पुलिस वाला व्यक्ति घरेलू सहायक पर हमला करता है या घरेलू हिंसा में लिप्त होता है, वह निश्चित रूप से सुरक्षा का हकदार नहीं होगा। हालाँकि यदि कोई कार्य किसी अभिलिखित आपराधिक मामले की जाँच के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा है, तो यह कार्य निश्चित रूप से कर्तव्य के रंग में है, चाहे वह कार्य कितना भी अवैध क्यों न हो।

71. यदि एक आधिकारिक कर्तव्य करने में एक पुलिसकर्मी ने कर्तव्य से अधिक कार्य किया है, लेकिन अधिनियम और अधिनियम के बीच एक उचित संबंध है आधिकारिक कर्तव्य का प्रदर्शन, यह तथ्य कि कथित कार्य कर्तव्य से अधिक है, पुलिसकर्मी को कर्तव्य से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा।

उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकारी मंजूरी का संरक्षण

उसे।

72. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 की भाषा और अवधि इसे बनाती है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मंजूरी की आवश्यकता न केवल आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए है, बल्कि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए जाने वाले कार्य और/या ऐसे कर्तव्य या प्राधिकरण के रंग या उससे अधिक के तहत किए गए कार्य के लिए भी आवश्यक है।

73. यह तय करने के लिए कि क्या मंजूरी आवश्यक है, परीक्षण यह है कि क्या अधिनियम पूरी तरह से आधिकारिक कर्तव्य से असंबद्ध है या क्या कोई संबंध है।

आधिकारिक कर्तव्य के साथ उचित संबंध। एक पुलिसकर्मी या आधिकारिक कर्तव्य से असंबद्ध किसी अन्य लोक सेवक के कार्य के मामले में मंजूरी का कोई सवाल नहीं हो सकता है। हालाँकि, यदि एक पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप लगाया गया कार्य उचित रूप से उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिसकर्मी ने अपनी शक्तियों के दायरे को पार कर लिया है या नहीं।

और/या कानून के चारों कोनों से परे कार्य किया। 74. यदि पुलिसकर्मी के खिलाफ कथित रूप से दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कार्य किसी अधिकारी [2020] 6 एस. सी. आर. को आरोपमुक्त करने से युक्तियुक्त रूप से जुड़ा हुआ है।

जब तक संहिता की धारा 197 के तहत उपयुक्त सरकार की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक इसका कर्तव्य, संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

75. जिस स्तर पर विचारण न्यायालय को जांच करनी है कि क्या मंजूरी प्राप्त की गई है और यदि नहीं तो क्या आपराधिक कार्यवाही को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय हैं।

76. जबकि इस न्यायालय ने डी. टी. विरूपाक्षप्पा (ऊपर) मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय ने माताजोग डोबे (ऊपर) मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए निचली अदालत के आदेश को दरकिनार नहीं करने में गलती की थी। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत दर्ज होते ही धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता पर विचार किया जाए

और उसमें निहित आरोपों पर। शिकायतकर्ता यह खुलासा नहीं कर सकता है कि अपराध का गठन करने वाला कार्य किया गया था या किया गया था

आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में और/या कर्तव्य के रंग के तहत किया जाए। हालांकि मुकदमे के दौरान या पुलिस या न्यायिक जांच पर बाद में सामने आने वाले तथ्य मंजूरी की आवश्यकता को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार, मंजूरी आवश्यक है या नहीं, यह कार्यवाही के किसी भी चरण में निर्धारित करना पड़ सकता है।

77. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन कार्यवाही को रद्द करने के लिए बनाए रखा जा सकता है जो

मंजूरी के अभाव, तुच्छ या अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से खराब हैं। यदि, शिकायत के सामने, कथित कार्य का आधिकारिक कर्तव्य के साथ एक उचित संबंध प्रतीत होता है, जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित होती है और गलत उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग कार्यवाही को रद्द करने के लिए करना होगा, ताकि प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके।

अदालत।

78. यह मानने का भी कोई कारण नहीं है कि अभियोजन के मामले में मंजूरी रोक दी जाएगी, जहां शिकायत में सार है और

किसी भी मामले में, यदि ऐसे मामले में मंजूरी से इनकार कर दिया जाता है, तो पीड़ित शिकायतकर्ता कानून का सहारा ले सकता है। दोहराने की कीमत पर यह दोहराया जाता है कि तत्काल मामले के रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया, जब प्रतिवादी अपराध संख्या 12/2012 के संबंध में जांच के दौरान हिरासत में था। स्पष्ट रूप से शिकायत कर्तव्य के रंग के तहत एक अधिनियम से संबंधित है।

79. महत्वपूर्ण रूप से, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश द्वारा कहा है कि "यह कानून का अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि मंजूरी एक

कानूनी आवश्यकता जो न्यायालय को जहां तक लोक सेवक का संबंध है, संज्ञान लेने का अधिकार देती है। यदि मंजूरी पूर्ण रूप से आवश्यक है, यदि संज्ञान लिया जाए तो यह अवैध हो जाता है इसलिए एक आदेश भी किसी भी अवैधता को दूर करता है तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है

कि बाद के किसी भी चरण में भी यदि मंजूरी दी जाती है तो इस पर विचार करना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। 80. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करके कानून में स्पष्ट रूप से गलती की।

मजिस्ट्रेट के आदेश को दरकिनार करने के लिए प्रक्रिया संहिता शिकायत का संज्ञान, यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि यह कानून का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत था कि मंजूरी एक कानूनी आवश्यकता थी जो न्यायालय को संज्ञान लेने का अधिकार देती है। न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 के तहत अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन भेजने के बजाय शिकायत को रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था।

81. अपील की अनुमति है। अपील के तहत निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मंजूरी के अभाव में शिकायत को रद्द कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी